न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं0प्र0सं0 प्रथम पक्ष– बबलु बड़ाईक बगैरह...।

बनाम

वाद सं0 41/2021 द्वितीय पक्ष– सच्चिदानंद बड़ाईक बगैरह ....।

आदेश की क्र0 सं0 एवं तिथि	**दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर**	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
18.12.21.	उक्त वाद की कार्रवाई थाना बसिया के अप्राथमिकी सं0 12/2021 दिनांक 05/06/2021 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है प्रथम पक्ष (1) बबलु बड़ाईक उर्फ अभय चीक बड़ाईक उम्र 28 वर्ष पिता गजेन्द्र बड़ाईक (2) डबलू चीक बड़ाईक उर्फ उमेश्वर चीक बड़ाईक उम्र 22 वर्ष पिता स्व0 श्याम सुंदर चीक बड़ाईक दोनो साकिन पोकटा थाना बसिया जिला गुमला **बनाम** द्वितीय पक्ष (1) सच्चिदानंद बड़ाईक उम्र 40 वर्ष पिता जगदीश बड़ाईके (2) सुद्धनाथ चीक बड़ाईक उम्र 56 वर्ष पिता स्व0 मंगलू चीक बड़ाईक (3) राजदेव चीक बड़ाईक उम्र 35 वर्ष पिता सुद्धनाथ चीक बड़ाईक सभी ग्राम पोकटा थाना बसिया जिला गुमला के बीच मौजा पोकटा के खाता सं0 58 के जमीन को लेकर आपसी तनाव एवं विवाद संबंधी वाद को लेकर उभय पक्षो के बीच अशांति फैलने की सम्भावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तद्नुसार दं0प्र0सं0 की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षो को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया । उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :– वाद की कार्रवाई के दौरान उभय उक्षों द्वारा किसी प्रकार से शांति भंग करने संबंधी सूचना थाना प्रभारी बसिया या अन्य स्रोत्रो से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अविध समाप्त होने एवं उभय पक्षो के बीच वाद्गत अवधि में किसी प्रकार की शांति भंग होने संबंधी सूचना अप्राप्त होने के आधार पर वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित । अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)।	

Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM
Date: 2024.09.05 14:36:34 +05:30
Location: 192.168.1.2